उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग

लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

स्पेशल लीव पिटीशन संख्याः 21843–21844 / 2015, हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2016 को दिये गये निर्णय के कम में मुख्य लिखित परीक्षा में ह्वाइटनर / ब्लेड का प्रयोग करने के कारण चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों का पुनरीक्षित चयन परिणाम।

संख्याःपीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015(पार्ट फाइल) दिनांकःदिसम्बर 05 ,2016

1– स्पेशल लीव पिटीशन संख्याः 21843–21844 / 2015, हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2016 को दिये गये निर्णय के कम में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011 की चयन प्रकिया में मुख्य लिखित परीक्षा में ह्वाइटनर / ब्लेड का प्रयोग करने के कारण चयन से बाहर हुए 808 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम बोर्ड की सूचना / विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीःअनु–6–प–1 / 2015(पार्ट फाइल) दिनांकः 21 मई, 2016 के द्वारा घोषित किया गया था।

2– इसमें 24 ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित थे जिनका चयन भविष्य में प्रभावित हो सकता था। अतः इनके चयन स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्याः 338 / 2016 उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन था।

3– रिट याचिका संख्या 37599 / 2015 आशीष कुमार पाण्डेय व 24 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 29 अन्य में दिनांक 16–03–2016 तथा इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्याः 338 / 2016, उत्तर प्रदेश राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व 58 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29–07–2016 को पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड की सूचना / विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015 दिनांकः 25 जून, 2015 के द्वारा घोषित चयन परिणाम में खुली प्रतियोगिता श्रेणी में विशेष श्रेणी जैसे महिला, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित सभी समायोजित अभ्यर्थियों को उनकी सम्बन्धित सामाजिक श्रेणियों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जिससे वे सम्बन्धित है, में स्थानान्तरित और समायोजित करते हुए मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर चयन की कार्यवाही कर बोर्ड की सूचना / विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015(पार्ट फाइल) दिनांकः 29 नवम्बर, 2016 के द्वारा चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है।

4– अतः विशेष अपील संख्याः 338 / 2016, उत्तर प्रदेश राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व 58 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29–07–2016 को पारित आदेश के आलोक में बोर्ड की सूचना / विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015 दिनांकः 16 मार्च, 2015 के द्वारा घोषित चयन परिणाम में भी खुली प्रतियोगिता श्रेणी में विशेष श्रेणी जैसे महिला, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित सभी समायोजित अभ्यर्थियों को उनकी सम्बन्धित सामाजिक श्रेणियों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जिससे वे सम्बन्धित है, में स्थानान्तरित और समायोजित करते हुए मुख्य लिखित परीक्षा

और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर चयन की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गयी है।

5.1– इस चयन प्रकिया में ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले कुल–809 अभ्यर्थी चयनित हुए है जिनमें 746 अभ्यर्थी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर एवं 63 अभ्यर्थी प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद पर चयनित है।

5.2– इस चयन में 25 नये अभ्यर्थी सम्मिलित है जिनमें 01 अभ्यर्थी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर एवं 24 अभ्यर्थी प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद पर चयनित है।

5.3– इस चयन में पूर्व चयनित 24 अभ्यर्थी विस्थापित/अचयनित हुए है जिनमें 09 अभ्यर्थी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद से एवं 15 अभ्यर्थी प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद से विस्थापित/अचयनित है।

5.4– इस चयन में पूर्व चयनित 54 अभ्यर्थियों के पद परिवर्तन हुए हैं। इनमें से 24 अभ्यर्थियों के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस से प्लाटून कमाण्डर, पीएसी तथा 30 अभ्यर्थियों के प्लाटून कमाण्डर, पीएसी से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर परिवर्तन हुए है।

6.1– इस चयन में सम्मिलित 25 नये अभ्यर्थियों का चयन उनके चिकित्सीय परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है।

6.2– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद से विस्थापित/अचयनित पूर्व चयनित 24 अभ्यर्थियों के चयन स्वतः निरस्त/समाप्त माने जायेंगे।

6.3– 808 अभ्यर्थियों की पूर्व चयन सूची के चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त अथवा कागजातों/चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य के आधार पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा घोषित अनुपयुक्त अभ्यर्थी यदि पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित है तो भी उन्हें अनुपयुक्त माना जायेगा।

7– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011 के अन्तर्गत ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले चयनित अभ्यर्थियों के कटआफ मार्क्स का विवरण निम्नवत हैः–

क–उप निरीक्षक नागरिक पुलिस

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	महिला
अनारक्षित (सामान्य)	331.0833	315.1667	297.0000	246.3333
अन्य पिछड़ा वर्ग	322.0833	300.2500	291.8333	264.3333
अनुसूचित जाति	284.0833	–	–	282.2500
अनुसूचित जनजाति	260.2500	–	–	–

ख–प्लाटून कमाण्डर, पीएसी

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
अनारक्षित (सामान्य)	329.2500	–	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	321.2500	–	283.6667
अनुसूचित जाति	279.2500	–	–
अनुसूचित जनजाति	–	–	–

*कटआफ मार्क्स पर एक से अधिक अभ्यर्थी होने की दशा में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक (Tie-Break) के आधार पर चयन किया गया है।

8— संगत सेवा नियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो या अधिक अभ्यर्थी द्वारा बराबर—बराबर अंक प्राप्त करने की स्थिति में उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय मुख्य लिखित परीक्षा के उच्चतर अंक, अधिमानी अर्हता, अधिक आयु व प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम में किया गया है। अतः अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयनित होना आवश्यक नहीं है।

9— उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती—2011 की मुख्य लिखित परीक्षा में ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले चयनित 809 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार **सूची—परिशिष्ट—क,** चयनित 25 नये अभ्यर्थियों की सूची—**परिशिष्ट—ख,** विस्थापित/अचयनित 24 अभ्यर्थियों की सूची—**परिशिष्ट—ग,** प्लाटून कमाण्डर, पीएसी से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस से प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद पर चयनित 54 अभ्यर्थियों की सूची—**परिशिष्ट—घ** बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है।

10— यद्यपि इस चयन परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

11— यह चयन परिणाम सर्वसाधारण के लिए सूचित किया जा रहा है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

12— बोर्ड की पूर्व में प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीःअनु—6—प—1/2015 दिनांकः 21 मई, 2016 के द्वारा घोषित चयन परिणाम एवं उसके आधार पर जारी चयन सूची उपरोक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी।

13— यह चयन रिट याचिका संख्या 5158/2015 अभिषेक कुमार सिंह व 03 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ के निर्णय दिनांक 24—08—2016 के विरुद्ध योजित विशेष अपील संख्याः 444/2016 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अभिषेक कुमार सिंह व 16 अन्य के निर्णय के अधीन है।

5/12/16

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।